शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं को उपभोग, प्रयोग अथवा विक्रय हेतु लाने पर कर लगाना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 52 में आता है । इसे देखते हुए चुंगी हटाने के मुद्दे की जांच करना राज्यों का दायित्व है । तथापि, स्थानीय शासन तथा नगर विकास केन्द्रीय परिषद् की एक बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में, इस मंत्रालय के द्वारा गठित एक समिति द्वारा विभिन्न राज्यों में चुंगी समाप्त करने से संबंधित मुद्दे पर विचार किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुंगी को आंशिक रूप से हटाने की सिफारिश की । रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को समुचित कार्रवाई हेतु परिचालित की गई है ।

(ख) जी, नहीं। जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, चुंगी का विषय राज्य सूची में आता है । इसलिए, भारत सरकार उन राज्यों को, जहां पर चुंगी समाप्त कर दी गई है, मुआवजे के रूप में किसी प्रकार के मुआवजे या प्रोत्साहन के रूप में कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं करती ।

(ग) उन राज्यों की सूची, जहां चुंगी नहीं लगाई जाती, विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सूची जहां चुंगी नहीं लगाई जाती

1. आंध्र प्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. कर्नाटक
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. नागालैंड
8. सिक्किम
9. तमिलनाडु
10. त्रिपुरा
11. हिमाचल प्रदेश
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. उत्तर प्रदेश
15. अरुणाचल प्रदेश
16. मिजोरम
17. चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)
18. दादरा तथा नागर हवेली (संघ शासित प्रदेश)
19. लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश)

भुवालका लोक कल्याण ट्रस्ट, कलकत्ता के भवन को खाली करना

1523. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 13 दिसंबर, 1991 को राज्य सभा में आतारांकित प्रश्न 2422 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भवन अभी तक खाली नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार भवन के किराये के रूप में अतिरिक्त खर्चा उठा रही है; और

(ग) क्या मार्च, 1992 के प्रथम सप्ताह तक यह भवन खाली हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आपातिक कार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इसे नए कार्यालय परिसर में शिफ्ट किये जाने से पूर्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सिविल निर्माण कार्य आरंभ किया है । जैसे ही ये निर्माण कार्य पूरे हो जायेंगे, वैसे ही कलकत्ता के भूवालका पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की बिल्डिंग को खाली कर दिया जाएगा।